

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहमद
हुकम
में

गामा है, जो कि अधीनस्थ न्यायालय की
 विधिगत प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति
 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंचायत
 समिति द्वारा निर्णीत न्यायान्तकरण (सू
 25) को अमान्य किया जाना उचित प्रतीत होता
 है। एवं अपीलोट एवं रेजिस्ट्रार के पत्र में
 नियमित दान पत्र के अनुसार न्यायान्तकरणों
 भविष्य दिष्ट जाना उचित प्रतीत होता है।
 अपीलोट द्वारा प्राप्त अपील लंबित किया
 जाना उचित प्रतीत होता है।
 उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अ
 पीलोट लंबित की जाती है। एवं भविष्य
 दिष्ट जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय
 गामा पंचायत समिति द्वारा निर्णीत न्यायान्त
 करण (संख्या 25) को निरस्त किया
 जाता है। एवं भविष्य दिष्ट जाना है कि
 उपहार पत्र दिनांक 12/10/2018 के अनुसार
 मौजा गोगपुरा पंचायत समिति की अक्षांश 19
 13 अक्षांश 7.59 विद्य (1.2060) ई. में स्थित
 250। अकराल पित्त लेहरु जमीन
 निवामी गोगपुरा का 88/149 हिस्सा एवं
 बडीलाल पित्त लेहरु जमीन का निवामी
 गोगपुरा का 61/149 हिस्सा नाम पर दावा
 किया जावे। पंचायत की गणना निर्णीत
 इन्डियन की आकर ब्युट अथवा अथवा कार्यवाही
 अभिलेखापत्र में की जावे। निर्णय सुनने
 मजमू-आम 2 अथवा 2 अथवा के क्षेत्र अभि-
 मात - 2024 निर्णय सुनने समिति में
 पुनराय आकर पित्त लेहरु दावा।

[Signature]
 29

